बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—: : आदेश : :—

आदेश संख्या—27/परि0—06—54/2025—सा0प्र0.............पटना—15, दिनांक..................

तत्कालीन उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना, मुंगेर के विरूद्ध मो0 नदीम अहमद द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर विभागीय पत्रांक—7673 दिनांक—11.06.2018 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर से उक्त परिवाद पत्र पर की गयी कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक—1035 दिनांक—23.12.2025 द्वारा मो0 नदीम अहमद का परिवाद पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक—432 दिनांक—07.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को उक्त परिवाद पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक—84 दिनांक—20.01.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन से संबंधित जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक—830 दिनांक—25.07.2024 इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया कि परिवाद पत्र में श्री पंकज कुमार, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, तारापुर के एक ही प्रखंड में 07 वर्षों से लेन—देन के बदले पदस्थापित होने का शिकायत की गयी है। श्री पंकज कुमार, लिपिक—सह—नाजिर, प्रखंड कार्यालय, तारापुर में वर्ष 2011 से 2018 तक पदस्थापित रहे हैं। वर्ष 2018 में इनका स्थानान्तरण प्रखंड कार्यालय, हवेली खड़गपुर किया गया था एवं वर्तमान में ये अनुमंडल कार्यालय, तारापुर में प्रतिनियुक्त हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत लिपिक प्रखंड कार्यालय तारापुर में पदस्थापित नहीं हैं। वर्ष 2018 के तत्कालीन उप समाहर्ता, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर के विरूद्ध मो0 नदीम अहमद द्वारा दिया गया परिवाद पत्र सत्य प्रतीत नहीं होता है।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत तत्कालीन उप समाहर्ता, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार तत्कालीन उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना, मुंगेर के विरूद्ध मो0 नदीम अहमद द्वारा प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह०/—

(शालिग्राम पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक—27/परि0—06—54/2025—सा0प्र0....२७४२....पटना—15, दिनांक....३.२.२६

प्रतिलिपि :— जिला पदाधिकारी, मुंगेर/ तत्कालीन उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना, मुंगेर/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।